कार्यालय जिला अधिकारी, टिहरी गढवाल। महत्वपूर्ण/आवश्यक

संख्या– 164/1 /24–153 (2016–2017) दिनॉक, नई टिहरी, जुलाई 13, 2017

प्रेषित,

अधिशासी अभियंता,
परियोजना, ग्रा0वि0ख0,उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0,
विक्टोरिया क्रॉस विजेता, गबर सिंह ऊर्जा भवन,
कांवली रोड़,
देहरादून।

विषय– **जनपद के विकासखण्ड भिलंगनाके अन्तर्गत अविद्युतिकृत ग्रामोंका केन्द्र पोषित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत विद्युतिकरण हेतु सिविल सोयम भूमि उपलब्ध कराये जाने विषयक।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया जिला कार्यालय के पत्र संख्या–164/24–153 (2016–2017) दिनॉक 03.06.2017 का सन्दर्भ लें, जिसके अन्तर्गत विकासखण्ड भिलंगना के अन्तर्गत अविद्युतिकृत ग्रामों का केन्द्र पोषित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु ग्राम कटकोट, पट्टी–कुजणी, के खाता संख्या–07 के खसरा संख्या–164 म0 11.12है0 उत्तराखण्ड सरकार की वर्ग 9(3)ड.की भूमि प्रस्तावित की गई है।

इस संबंध में अवगत कराना है, कि प्रकरण में श्री विनोद कुमार सेमवाल, वन वीट अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है, कि उक्त प्रस्तावित भूमि का दिनॉक 19.06.2017 को विभाग द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में उक्त प्रस्तावित भूमि चट्टानी व सघन क्षेत्र है व शेष भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के कटिंग हेतु प्रस्तावित है, जिस कारण उक्त भूमि पर वृक्षारोपण नहीं किया जा सकता है।

प्रकरण की महत्ता के दृष्टिगत प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी द्वारा अवगत कराया गया है, कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु तहसील बालगंगा के ग्राम कोट, पट्टी–हिन्दाव स्थित वन विभाग के टोली ब्लाक, कम्पार्टमेंट नम्बर–02 में भूमि उपलब्ध है।

अतएव प्रश्नगत परियोजना निर्माण के दृष्टिगत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी द्वारा सुझाई गई उक्त वर्णित भूमि (ग्राम कोट, पट्टी–हिन्दाव स्थित वन विभाग के टोली ब्लाक, कम्पार्टमेंट नम्बर–02) का दिनॉक 14.07.2017 को विभागीय सर्वेक्षण करवाते हुए प्रस्तावित भूमि का प्रस्ताव नियमानुसार अपलोड करते हुए नोडल अधिकारी भूमि संरक्षण निदेशालय, बसंत विहार, देहरादून से प्राप्त ऑन लाईन आपत्ति का यथाशीघ्र निराकरण सुनिश्चित करें।

(सोनिका)
जिला अधिकारी
टिहरी गढवाल।

SDO
Pl for survey/inspection
on 14/07/17
13/07/17

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. प्रमुख सचिव, ऊर्जा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
02. अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, नई टिहरी।
03. प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
04. उप जिलाधिकारी, घनसाली/बालगंगा।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढवाल।

FROM : FAX NO. : 13 Jul. 2017 4:20PM

जिला स्तरीय समिति को सिविल भूमि हस्तान्तरण हेतु तहसील स्तरीय समिति की संयुक्त जांच रिपोर्ट तहसील बालगंगा अविद्युतीकृत ग्रामों का केन्द्र पोषित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण स्थापना हेतु तहसील बालगंगा जिला टिहरी गढवाल।

अविद्युतीकृत ग्रामों का केन्द्र पोषित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण स्थापना हेतु तहसील.बालगंगा पट्टी. थालीकडूड ग्राम.कोट .खाता संख्या 201 खसरा संख्या. 1631,रक्बा 8.001हेक्टेअर, 1787 रक्वा 7.311 हेक्टेअर मध्ये 3.119 हेक्टेअर कुलरकबा 11.120 हेक्टेअर .भूमि उत्तराखण्ड सरकार की सिविल सोयम भूमि (श्रेणी) 9(3) क एवं ख भागे छोडकर श्रेणी 9–3(ड')में दर्ज अभिलेख है, को वन विभाग के नाम हस्तान्तरित किये जाने की याचना की गयी है।

प्रस्तावित सिविल सोयम भूमि को अधिसूचना संख्या–866 / X-3-211/8(21)/2010दिनांक28-9-2011 एवं शासनादेश संख्या–883 / X-3-2011/8(21)/2010 दिनांक 4.1.2011 तथा राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या–2882 / XVIII(II)11-18(120)/3-2010 दिनांक 11 नवम्बर 2011 के आलोक में प्रभागीय वनाधिकारी जिला टिहरी गढवाल को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आबंटित किये जाने हेतु तहसील स्तरीय समिति द्वारा आज दिनांक–15.7.2017 को संयुक्त निरीक्षण किया गया।

संयुक्त निरीक्षण के दौरान् समिति द्वारा पाया गया कि प्रस्तावित भूमि शब्दकोष के अुनसार वन नहीं है। सरकारी अभिलेख में वन के रूप में दर्ज नहीं है एवं मौके वन स्वरूप नहीं है। यह भूमि उत्तराखण्ड के जिला टिहरी गढवाल की तहसील–बालगंगा .पट्टी थालीकठूड ग्राम कोट के नॉन जेड ए0 खाता संख्या–201 खसरा नम्बर 1631 रक्वा 8.001हे0. 1787 रक्वा 7.311 हेक्टेअर कुल रक्वा 15.312 हेक्टेअर में श्रेणी 9(3)ड' बंजर दर्ज है। शासनादेश संख्या -2882 / XVIII(II)11-18(120)/3-2010दिनांक 11 नवम्बर 2011 के अुनसार इस भूमि पर वन अधिनियम लागू नहीं है। प्रस्तावित अविद्युतीकृत ग्रामों का केन्द्र पोषित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु जन हित में भूमि हस्तान्तरण किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः तहसील बालगंगा की तहसील स्तरीय संयुक्त निरीक्षण समिति ग्राम कोट की खाता खतौनी संख्या 201 में ज0वि0र0 के श्रेणी 9(3) ड' में दर्ज खसरा नम्बर 1631 रक्वा 8.001हे0. 1787 रक्वा 7.311 हेक्टेअर कुल रक्वा 15.312 हेक्टेअर भूमि को वन विभाग जिला टिहरी गढवाल को अविद्युतीकृत ग्रामों का केन्द्र पोषित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण स्थापना हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरण / नामान्तरण किये जाने हेतु जिला स्तरीय संयुक्त जांच समिति को सस्तुति सहित प्रस्तावित करती है।

RPS
प्रस्तावक विभाग
JE (UPCL)
Ghansali

रा0नि0
घनसाली

तहसीलदार,
बालगंगा।

वन क्षेत्राधिकारी
प्र0 भू0 सं0
था0 कुडसारी

एस0डी0ओ0(फारेस्ट)

प्रेषक,

तहसीलदार,
बालगंगा।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
टिहरी गढवाल।

द्वारा:- उपजिलाधिकारी घनसाली।

संख्या:- 48 /र0का0 भू0ह0–2017 दिनांक बालगंगा जुलाई 17, 2017

विषय:- **जनपद के विकासखंड भिलंगना के अन्तर्गत अविद्युतीकृत ग्रामों का केन्द्र पोषित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए सिविल सोयम भूमि का वन भूमि हस्तान्तरण किये जाने विषयक।**

महोदय,

उपरोक्त बिषयक महोदया के पत्रांक संख्या–164/1/XXIV-153 (2016-17) दिनांक 13.07.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद के विकासखंड भिलंगना के अन्तर्गत अविद्युतीकृत ग्रामों का केन्द्र पोषित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए सिविल सोयम भूमि का वन भूमि हस्तान्तरण किये जाने के संबंध मे जांचोपरान्त स्पष्ट आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

उक्त के अनुपालन मे प्रस्तावित सिविल सोयम भूमि को अधिसूचना संख्या--866/X-3-211 / 8(21) / 2010 दिनांक28-9-2011 ,वं शासनादेश संख्या – 883/X-3-2011/8(21)/2010 दिनांक 4.1.2011 तथा राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या–2882/XVIII(II)11-18(120)/3-2010 दिनांक 11 नवम्बर 2011 के आलोक में प्रभागीय वनाधिकारी जिला टिहरी गढवाल को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आबंटित किये जाने हेतु तहसील स्तरीय समिति द्वारा दिनांक–15.7.2017 को संयुक्त निरीक्षण किया गया।

संयुक्त निरीक्षण के दौरान् समिति द्वारा पाया गया कि प्रस्तावित भूमि शब्दकोष के अुनसार वन नहीं है। सरकारी अभिलेख में वन के रूप में दर्ज नहीं है एवं मौके वन स्वरूप नहीं है। यह भूमि उत्तराखण्ड के जिला टिहरी गढवाल की तहसील–बालगंगा .पट्टी थाती कठूड ग्राम कोट के नॉन जेड ए खाता संख्या–201 खसरा नम्बर 1631 रक्बा 8.001हे0. 1787 रक्बा 7.311 हेक्टेअर कुल रक्बा 15.312 हेक्टेअर में श्रेणी 9(3)ड' बंजर दर्ज है। शासनादेश संख्या--2882/XVIII(II)11-18(120)/3-2010दिनांक 11 नवम्बर 2011 के अुनसार इस भूमि पर वन अधिनियम लागू नहीं है। प्रस्तावित अविद्युतीकृत ग्रामों का केन्द्र पोषित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु जन हित में भूमि हस्तान्तरण किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः तहसील बालगंगा की तहसील स्तरीय संयुक्त निरीक्षण समिति ग्राम कोट की खाता खतौनी संख्या 201 में ज0वि0र0 के श्रेणी 9(3) ड' में दर्ज खसरा नम्बर 1631 रक्बा 8.001हे0. 1787 रक्बा 7.311 हेक्टेअर कुल रक्बा 15.312 हेक्टेअर भूमि को वन विभाग जिला टिहरी गढवाल को अविद्युतीकृत ग्रामों का केन्द्र पोषित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण स्थापना हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरण/नामान्तरण किये जाने विषयक आख्या सेवामें सादर प्रेषित है।

संलग्न– किता –6

तहसीलदार,
बालगंगा।

JE (V)
Ghansali

पटवारी

बालगंगा।

उपखण्ड अधिकारी

सेवा में

श्रीमान तहसीलदार महोदय
तहसील - बालगंगा
जिला - टिहरी गढ़वाल

विषय - जनपद के विकासखण्ड भिलंगना के अन्तर्गत अविद्युतिकृत ग्रामो का केन्द्र पोषित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत विद्युतिकरण हेतु सिविल सोयम भूमि उपलब्ध कराये जाने विषयक

महोदय, उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी महोदय टिहरी गढ़वाल के पत्रांक सं० 164/24-153(2016-17) दिनांक 03-06-2017 के अनुपालन मे आपके आदेशानुसार जांच की गयी जांच आख्या निम्न प्रकार है।

1 यह कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत घिनस्वाड़ उरणी, गेवली निर्माण हेतु 5.560 हे० वन भूमि विभाग को हस्तान्तरण किया जाना है जिसके बदले मे क्षति पूरक वृक्षारोपण हेतु दुगनी कुल 4.192 हे० ... के बदले ... 5.312 हे० सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के नाम हस्तान्तरण 11.120 हे० सिविल सोयम भूमि के चयन किया जाना है।

2, यह कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सिविल सोयम भूमि चयन हेतु दिनांक 15/07/2017 को राजस्व विभाग से श्री अवतार सिंह पुण्डीर रा०नि० घिनस्वाड़ व वन विभाग से विनोद नाथ रा०उ०नि० घिनस्वाड़ व वन विभाग से रा०नि० चमियाला, श्री कृपाल सिंह पंवार वन रक्षक थाती कठूड़ व विद्युत विभाग के श्री रविन्द्र प्रताप सिंह अवर अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड भिलंगना के कर्मचारियो के साथ निरीक्षण किया गया तथा ग्राम कोट अलग-अलग तोकों मे खसरा नं० 1631 रकबा 8.001 हे० व 1707 रकबा 7.311 हे० कुल भूमि 15.312 का चयन किया गया है। चयनित किये गयी भूमि का नक्शा खसरा नकल खतौनी नकल संलग्न रिपोर्ट है।

अतः जांच रिपोर्ट आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा मे प्रेषित है।

16/7/2017

नकल खसरा ग्राम कोट पट्टी थाती कठुड तहसील बालगंगा जिला टि०ग०

[फ० 1425]

खसरा न०	रकबा (हे०)	खाता खतौनी सं०	भूमिधर का नाम मय सकूनत	विवरण
1	2	3	4	5 से 2 तक
1585	0.031	201	उ० प्र० सरकार धारा 9 (3) 5	
1596	0.130	201	—— od ——	
1631	0.001 ✓	201	—— od ——	
1655	0.063	201	—— od ——	
1660	0.015	201	—— od ——	
1674	0.211	201	—— od ——	
1679	0.008	201	—— od ——	
1701	0.319	201	—— od ——	
1757	0.044	201		
1705	0.010	201		
1709	7.311 ✓	201		
11	16.143	—	—	

नकल मुताबिक असल है

तैयार किया

[signature]
15/07/2017

नकल खतौनी ग्राम गोट पट्टी थाती कठुड तहसील बालगंगा। जिला-टि० ग०

खतौनी सं०	भूमिधर का नाम	खसरा नं०	रकबा है०	प्रस्तावित रकबा
1	2	3	4	5
	उ० प्र० सरकार वर्ग 9 (3) ड	1 3 से 1596 1631 1655 1660 से 1706 1707 1708 से 5314	0.204 0.040 0.130 8.001 0.063 0.015 0.010 7.311 1.272 0.015	8.001 7.311
	योग	444	117.491 स० ~~117.120~~	15.312

नकल मुताबित असल है
तैयार किया
[signature] 15/07/2017